

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 112]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 1 मार्च 2014—फाल्गुन 10, शक 1935

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2014

क्र. 1 (ए) 13-2014-पचास-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश महिला एवं बाल विकास (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2011 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

- (1) अनुसूची-एक में, अनुक्रमांक 18 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"18-क.	विकासखण्ड महिला सशक्तिकरण अधिकारी.	313	कनिष्ठ द्वितीय श्रेणी	9300—34800+3600	..

(2) अनुसूची-दो में, अनुक्रमांक 10 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:—

विभाग का नाम	पद का नाम	पद की कुल संख्या	भरे जाने वाले पद की प्रतिशतता			अभ्यक्तियां
			सीधी भर्ती द्वारा	सेवा के स्थानापन्न सदस्यों से पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवाओं से प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
महिला एवं बाल विकास विभाग	11. विकासखण्ड महिला सशक्तिकरण अधिकारी.	313	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	-	50 प्रतिशत पद पर्यवेक्षक संवर्ग से सीमित सीधी भर्ती द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे.

(3) अनुसूची-तीन में, अनुक्रमांक 2 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:—

विभाग का नाम	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक आर्हता	अभ्यक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महिला एवं बाल विकास विभाग	3. विकासखण्ड महिला सशक्तिकरण अधिकारी	21 वर्ष	40 वर्ष	-तदैव-	-तदैव-

(4) अनुसूची-चार में, शीर्षक "कनिष्ठ द्वितीय श्रेणी" के अधीन विद्यमान पदों तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	कॉलम (3) में दिए गए पद पर पदोन्नति के लिए कॉलम (2) में वर्णित पद पर सेवा की न्यूनतम कालावधि	विभागीय पदोन्नति समिति के नाम	अभ्यक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महिला एवं बाल विकास विभाग	1. बाल विकास परियोजना अधिकारी.	सहायक संचालक/ जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी/ समकक्ष पद.	5 वर्ष	-तदैव-	-तदैव-
	2. विकासखण्ड महिला सशक्तिकरण अधिकारी.	सहायक संचालक	5 वर्ष	-तदैव-	-तदैव-
	3. स्टेनोग्राफर ग्रेड-एक	(केवल एक पद पर)			

No. 1 (A) 13-2014-L-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Women and Child Development (Gazetted) Services Recruitment Rules, 2011, namely:—

AMENDMENT

In the said rules,—

- (1) In Schedule-I, after serial number 18, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely:—

S. No.	Name of the post including in the Service	No. of Post	Classification	Pay Scale	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"18-A.	Block Women Empowerment Officer.	313	Junior Class-II	9300—34800+3600	."

- (2) In Schedule-II, after serial number 10, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely:—

Name of the Department	Name of the Post	Total No. of Post	Percentage of the filling of the post			Remarks
			By Direct recruitment	By Promotion from substantive member of the service	By deputation or transfer from other services	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"Women and Child Development Department.	11. Block Women Empowerment Officer.	313	50%	50%	-	50% post shall be filled by Supervisor cadre through limited Direct Recruitment by Madhya Pradesh Public Service Commission."

- (3) In Schedule-III, after serial number 2, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely:—

Name of the Department	Name of the Post	Minimum Age limit	Upper Age limit	Prescribed educational qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"Women and Child Development Department.	3. Block Women Empowerment Officer	21 years	40 years	-do-	-do-

- (4) In Schedule-IV, under heading "Junior Class-II", for the existing posts and entries relating thereto, the following Posts and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

Name of the Department	Name of the post from which promotion is to be made	Name of the post in which promotion is to be made	Minimum period of service in the post mentioned in column (2) for the promotion of the post given in column (3)	Members of the Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Women and Child Development Department.	1. Child Development Project Officer.	Assistant Director/District Women and Child Development Officer/Equivalent post.	5 years	-do-	-do-
	2. Block Women Empowerment Officer.	Assistant Director (only one Post)	5 years	-do-	-do-
	3. Stenographer (Grade-One)				

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 एम. एल. करयाम, उपसचिव.